( छाया प्रति प्रमाणित )

आदेश पत्रक

न्यायालय : उपजिलाधिकारी
मण्डल :देवीपाटन,ज़नपद :श्रावस्ती,तहसील :भिन्गा
वाद सख्या :-3863/2022
कंप्यूटरीकृत वाद सख्या :-T202208620103863
गोनार्द कल्याण वाहिनी समिति बनाम सरकार
अंतर्गत धारा:- 80, अधिनियम :- उत्तर प्रदेश राजस्व सहिता - 2006

निर्णय

प्रस्तुत वाद वादी करन भूषण सिंह पुत्र बृज भूषण शरण सिंह, निवासी ग्राम विश्नोहरपुर, नबाबगंज गोण्डा, उप प्रबंधक गोनार्द कल्याण वाहिनी समिति नवाबगंज गोण्डा, द्वारा आर0सी0 प्रपत्र–25 नियम 85 (1) के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 80(1) के अधीन उदघोषणा हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र पर तहसीलदार, भिनगा द्वारा प्रेषित आख्या दि0 02.07.2022 के आधार पर पंजीकृत किया गया है। वादी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के माध्यम से ग्राम पटना खरगौरा, परगना व तहसील भिनगा की खतौनी 1424–1429 की खाता संख्या–170 की गाटा संख्या–158 रकबा 0.7340 हे0 व खाता संख्याः 171 की गाटा संख्याः 157 रकबा 0.4990 हे0 को अकृषिक घोषित किये जाने का अनुरोध किया गया है।

तहसीलदार, भिनगा द्वारा क्षेत्रीय लेखपाल की आख्या दिनांकः 02.07.2022 एवं राजस्व निरीक्षक की आख्या दिनांकः 02.07.2022 के आधार पर प्रेषित अपनी आख्या दिनांकः 02.07.2022 में यह उल्लेख किया गया है कि ग्राम पटना खरगौरा, परगना व तहसील भिनगा खतौनी खाता संख्या–170 की गाटा संख्या–158 रकबा 0.734 हे0 व खाता संख्याः 171 की गाटा संख्याः 0.499 हे0 कुल दो किता रकबा 1.233 हे0 भूमि ग्राम पटना खरगौरा परगना व तहसील भिनगा में स्थित है, उक्त भूमि को अकृषिक प्रयोग में लाया जा रहा है। उक्त के दृष्टिगत तहसीलदार, भिनगा ने जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्धारित दर सूची के अनुसार भूमि के कृषिक मूल्यांकन अर्थात 24,20,000X1.233 हे0 = 2983860.00 रू0 का 1 प्रतिशत अर्थात 29838–00 (उन्तीस हजार आठ सौ अड़तीस) रू0 जमाकोष कराकर वादी के नाम अंकित उक्त भूमि को उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2016 की धारा 80 नियम 85(3) के अन्तर्गत अकृषिक घोषित किये जाने की आख्या प्रेषित की गयी है। विषयगत आख्या के साथ उल्लिखित खाते की कम्प्यूटरीकृत खतौनी प्रस्तुत की गयी है। वादी द्वारा तहसीलदार भिनगा की आख्या में वर्णित धनराशि मु0 29840–00 (उन्तीस हजार आठ सौ चालीस) रू0 चालान सं0–19 दिनांकः 04.07.2022 द्वारा इलाहाबाद बैंक भिनगा में जमा कोष कराकर चालान की मूल प्रति तथा मु0 29900–00 (उन्तीस हजार नौ सौ) रू0 का न्यायालय शुल्क के रूप में स्टाम्प प्रस्तुत किया गया है। यदि किसी भी प्रकार की मूल्यांकन में कमी आती है तो आदेश स्वतः निष्प्रभावी माना जायेगा।

मैंने तहसीलदार, भिनगा की आख्या दि0 02.07.2020 के आलोक में पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों का गहनता से अवलोकन किया। तथ्यों के अवलोकन से यह समाधान हो गया है कि वादी की उक्त भूमि के उल्लिखित रकबे को कृषि कार्य से भिन्नकार्य में प्रयोग में लाये जाने के कारण वादग्रस्त आराजी को उपलब्ध नियमों के अन्तर्गत अकृषिक घोषित किया जाना विधिनुकूल हैं। इस संदर्भ में किसी भी पक्ष द्वारा कोई आपत्ति इस न्यायालय

3
13=00



Scanned with CamScanner

**आदेश पत्रक**

**न्यायालय : उपजिलाधिकारी**
**मण्डल :देवीपाटन,जनपद :श्रावस्ती,तहसील :भिन्गा**
**वाद सङ्ख्या :-3863/2022**
**कंप्यूटरीकृत वाद सङ्ख्या :-T202208620103863**
**गोनार्द कल्याण वाहिनी समिति बनाम सरकार**
**अंतर्गत धारा:- 80, अधिनियम :- उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006**

के समक्ष प्रस्तुत नहीं की गयी है। तदनुसार आदेश पारित किये जाने में कोई विधिक अड़चन प्रतीत नहीं होती है।

**आदेश**

अतः आदेश हुआ कि तहसीलदार, भिनगा की आख्या दिनांक 04.07.2022 के आधार पर ग्राम पटना खरगौरा, परगना व तहसील भिनगा की खतौनी 1424–1429 की खाता संख्या–170 की गाटा संख्या–158 रकबा 0.734 हे0 व खाता संख्याः 171 गाटा संख्याः 157 रकबा 0.499 हे0 को अकृषिक प्रयोग में लाये जाने के कारण अकृषिक घोषित करते हुए मालगुजारी से मुक्त किया जाता है। परवाना अमलदरामद जारी हो। आदेश की प्रमाणित प्रति उपनिबन्धक, भिनगा को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जाए। उपनिबन्धक, भिनगा उक्तानुसार बाद अनुपालन आदेश की प्रति इस न्यायालय को वापस प्रेषित कराएं। बाद आवश्यक कार्यवाही इस न्यायालय की वाद पत्रावली अभिलेखागार में संचित हो।

दिनांकः–

5/7/2022

सहायक कलेक्टर / उप जिलाधिकारी,
भिनगा।

प्राप्त 5/7/2022

23314

06/7/2022 Read

325 शब्द

6-7-22 रू0: जुलाई सन् दो हजार बाईस
6-7-22 रू0: जुलाई सन् दो हजार बाईस
6-7-22 रू0: जुलाई सन् दो हजार बाईस

**पृष्ठ संख्या :**